13/7/23

वकील उभयपक्ष उपस्थ। स्थगन प्रा.पत्र पर सुना गया। वकील अपीलार्थी का कथन है कि अधी० न्याया० ने कार्य० का० प्र० नहीं करने के कारण प्रा.पत्र 212 राज० काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया। जबकि मूल दावा अधी० न्याया० में विचाराधीन है। अधी० के या तो प्रा.पत्र 212 एवं मूल दावा दोनों ही खारिज करने थे या फिर प्रा.पत्र 212 पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः प्रकरण अधी० न्याया० को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो० के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये कि न्याया० दावा के स्थगन आदेश की आड़ में अपी०, रेस्पो० को निर्वाध जमीन से बेदखल कर रहे हैं। अधी० न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है अतः स्थगन प्रा.पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं

लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रति० सल्लो की का० मु० कार्य० नहीं करने एवं अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी वादी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रा० पत्र 212 RT ACT खारिज किया गया है जबकि मूल दावा में प्रति० सल्लो के विरुद्ध दावा सेवर करते हुये अधिनांक तक विचाराधीन है। लिहाजा अधी० न्याया० ने प्रा० पत्र 212 RT ACT को खारिज करने में तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्याया० को प्रा० पत्र 212 RT ACT में भी प्रति० सल्लो के विरुद्ध सैवर किया जाकर प्रा० पत्र 212 RT ACT के प्रावधानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। चूंकि प्रकरण में सभी पक्षो० की तामील हो चुकी है एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरण के सभी बिन्दु स्पष्ट हो चुके हैं। अतः हम अधी० न्याया० की पत्रावली तलब किये जाने की आवश्यकता महसूस ना करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि अधी० न्याया० उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रा० पत्र 212 RT ACT पर प्रा० पत्र 212 RT ACT के प्रावधानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचना करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज
	यथास्थिति कायम रखें व एक दूसरे के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करें। पत्रावली फैसल शुमार हो जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर	